

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक एवं उनके परिवार के सदस्यों की दुर्घटना उपरांत चिकित्सीय लाभ (चिकित्सालय में भर्ती अनिवार्य है) प्राप्त करने हेतु दावा प्रपत्र पृष्ठ संख्या-1

1. (क) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का नाम:

(ख) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का पता:

(ग) परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक का नाम:

(घ) परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक से संबंध:

(ङ) पात्रता प्रमाण-पत्र (परिवार के मुखिया या रोटी अर्जक का):

खतौनी की कापी या तहसीलदार द्वारा जारी ₹0 75,000/- से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र में से कोई एक जो लागू हो संलग्न करें। बी0पी0एल0 परिवार को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, उनके द्वारा कार्ड की प्रति संलग्न की जाय।

(च) परिवार का विवरण

(परिवार रजिस्टर की प्रति/राशन कार्ड/उपजिलाधिकारी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र)

(छ) आयु प्रमाण-पत्र (परिवार के मुखिया या रोटी अर्जक का)

(हाईस्कूल प्रमाण-पत्र/बैंक खाते की पासबुक/वोटर आईडी0 कार्ड/वोटर लिस्ट की प्रति/नगर निगम/नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाइसेन्स/आधार कार्ड/राशन कार्ड की प्रति)(कोई एक संलग्न करें)

(ज) पते हेतु प्रमाण-पत्र (परिवार के मुखिया या रोटी अर्जक का)

खतौनीधारक/ बी.पी.एल. कार्ड धारक तथा आय प्रमाण पत्र धारक को पते का साक्ष्य लगाने की आवश्यकता नहीं है। शेष आवेदक (पासपोर्ट /ड्राईविंग लाइसेन्स /राशन कार्ड/ बैंक खाते की पासबुक/ वोटर आईडी0 कार्ड /आधार कार्ड /उप जिलाधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति) कोई एक संलग्न करें।

2. परिवार का मुखिया/रोटी अर्जक के बैंक खाते का विवरण:

(क) खाताधारक का नाम :

(ख) मोबाईल नं0:

(ग) बैंक खाता सं0:

(घ) आई.एफ.एस.सी. कोड:

(ङ) बैंक शाखा का नाम एवं पता:

(बैंक का नाम, खाता नम्बर, आई.एफ.एस.सी.कोड दर्शाते हुए पास बुक की छायाप्रति संलग्न करें।)

3. दुर्घटना का विवरण:

(क) दुर्घटना स्थल:

(ख) एफ.आई.आर. या जी.डी.की प्रति:

(ग) पुलिस स्टेशन का नाम:

(घ) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति/यों का नाम:

4. चिकित्सालय का विवरण :

(क) चिकित्सालय का नाम व पता:

(ख) रजिस्ट्रेशन नम्बर: